Nature of contract and its essentials, Void, valid and voidable contracts.

Meaning and Nature of Contract

A contract is a legally enforceable agreement between two or more parties. It creates legal obligations which are recognized and enforced by law.

According to Sir Frederick Pollock:

“A contract is an agreement enforceable by law.”

Under the Indian Contract Act, 1872:

- Agreement + Enforceability by law = Contract
- A contract arises when one party makes a proposal and the other accepts it with free consent.

अनुबंध का अर्थ और स्वरूप

अनुबंध (Contract) दो या अधिक पक्षों के बीच ऐसा समझौता है जिसे कानून मान्यता देता है तथा लागू करता है। इससे कानूनी दायित्व उत्पन्न होते हैं।

Sir Frederick Pollock के अनुसार:

“ऐसा समझौता जो कानून द्वारा लागू किया जा सके, अनुबंध कहलाता है।”

Indian Contract Act, 1872 के अनुसार:

समझौता + कानूनी प्रवर्तनीयता = अनुबंध

जब एक पक्ष प्रस्ताव देता है और दूसरा पक्ष स्वतंत्र सहमति से उसे स्वीकार करता है, तब अनुबंध बनता है।

Offer and Acceptance प्रस्ताव और स्वीकृति

One party must make a lawful offer and the other party must accept it absolutely and unconditionally.

Example:

A offers to sell his bike to B for ₹50,000. B accepts the offer. A contract is formed.

एक पक्ष द्वारा वैध प्रस्ताव दिया जाना चाहिए तथा दूसरे पक्ष द्वारा उसे पूर्ण एवं बिना शर्त स्वीकार किया जाना चाहिए।

उदाहरण:

A अपनी बाइक B को ₹50,000 में बेचने का प्रस्ताव देता है और B स्वीकार कर लेता है। अनुबंध बन जाता है।

Intention to Create Legal Relationship
कानूनी संबंध स्थापित करने का उद्देश्य

The parties must intend to create legal obligations.

Social or domestic agreements generally do not create contracts.

पक्षों का उद्देश्य कानूनी दायित्व उत्पन्न करना होना चाहिए।

सामाजिक या पारिवारिक समझौते सामान्यतः अनुबंध नहीं माने जाते।

Lawful Consideration
वैध प्रतिफल (Consideration)

Consideration means “something in return.”

Each party must get some benefit or suffer some loss.

Example: Money paid for goods.

प्रतिफल का अर्थ है “बदले में कुछ प्राप्त होना।”

प्रत्येक पक्ष को कुछ लाभ प्राप्त होना चाहिए या कुछ त्याग करना चाहिए।

उदाहरण: वस्तु के बदले धन देना।

Capacity of Parties
पक्षों की क्षमता

- The parties must be competent to contract.
- According to law, a person is competent if:
- He is major,
- Of sound mind,
- Not disqualified by law
- अनुबंध करने वाले पक्ष सक्षम होने चाहिए।
- कानून के अनुसार व्यक्ति तभी सक्षम है जब:
- वह बालिग हो,
- स्वस्थ मस्तिष्क का हो,
- कानून द्वारा अयोग्य घोषित न हो।

Free Consent
स्वतंत्र सहमति

- Consent must be free and not caused by:
- Coercion
- Undue influence
- Fraud
- Misrepresentation
- Mistake
- सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए और निम्न कारणों से प्राप्त नहीं होनी चाहिए:
- दबाव
- अनुचित प्रभाव
- धोखा
- मिथ्या प्रतिपादन
- भूल

Lawful Object
वैध उद्देश्य

The object of the agreement must not be illegal, immoral, or against public policy.

समझौते का उद्देश्य गैरकानूनी, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

Certainty of Terms
शर्तों की निश्चितता

- The terms of the agreement must be clear and definit
- अनुबंध की शर्तें स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए।
- Possibility of Performance
- पालन की संभावना
- The act agreed upon must be possible to perform.
- Impossible agreements are void
- अनुबंध का कार्य संभव होना चाहिए।
- असंभव कार्यों से संबंधित समझौते शून्य होते हैं।

Legal Formalities
कानूनी औपचारिकताएँ

- Certain contracts must be in writing, registered, or stamped according to law.

- कुछ अनुबंधों के लिए लिखित रूप, पंजीकरण तथा स्टाम्प आवश्यक होता है।

Classification of Contracts
अनुबंधों का वर्गीकरण

Contracts are mainly classified as:

- Valid Contract
- Void Contract
- Voidable Contract

Valid Contract
वैध अनुबंध

A valid contract is a contract that satisfies all legal requirements and is enforceable by law.

Features

- Proper offer and acceptance
- Free consent
- Lawful consideration
- Competent parties
- Lawful object

वैध अनुबंध वह है जिसमें सभी कानूनी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं तथा जिसे कानून लागू करता है।

विशेषताएँ

- उचित प्रस्ताव एवं स्वीकृति
- स्वतंत्र सहमति
- वैध प्रतिफल
- सक्षम पक्ष
- वैध उद्देश्य

उदाहरण

- A अपनी कार B को ₹3 लाख में बेचने के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत होता है।

Void Contract
शून्य अनुबंध

A void contract is a contract that is not enforceable by law. It may be valid initially but later becomes void.

Under the Indian Contract Act, 1872:

“A contract which ceases to be enforceable by law becomes void.”

- Causes of Void Contract
- Impossibility of performance
- Illegal object
- Restraint of trade
- Restraint of marriage
- Uncertainty

Example

- A agrees to discover treasure by magic. This agreement is void.

शून्य अनुबंध वह है जिसे कानून लागू नहीं कर सकता। यह प्रारंभ में वैध हो सकता है लेकिन बाद में शून्य हो जाता है।

Indian Contract Act, 1872 के अनुसार:

“जो अनुबंध कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, वह शून्य हो जाता है।”

- शून्य अनुबंध के कारण
- कार्य का असंभव होना
- गैरकानूनी उद्देश्य
- व्यापार पर रोक
- विवाह पर रोक
- अनिश्चित शर्तें

उदाहरण

- A जादू द्वारा खजाना खोजने का समझौता करता है। यह शून्य है।

Voidable Contract
विलोपनीय अनुबंध

A voidable contract is a contract that is enforceable by law at the option of one party but not at the option of the other.

- Generally, when consent is not free, the contract becomes voidable.
- Causes
- Coercion
- Fraud
- Undue influence
- Misrepresentation

Example

A threatens B and forces him to sell property. B may cancel the contract.

विलोपनीय अनुबंध वह है जिसे एक पक्ष अपनी इच्छा से समाप्त कर सकता है, जबकि दूसरा पक्ष उसे लागू कर सकता है।

- जब सहमति स्वतंत्र नहीं होती, तब अनुबंध विलोपनीय बन जाता है।
- कारण
- दबाव
- धोखा
- अनुचित प्रभाव
- मिथ्या प्रतिपादन

उदाहरण

- A, B को धमकी देकर उसकी संपत्ति खरीद लेता है। B अनुबंध समाप्त कर सकता है।

Conclusion
निष्कर्ष

Contracts are essential for business and daily life. For a contract to be legally valid, it must fulfill all essential elements such as free consent, lawful object, consideration, and competency of parties. Contracts may be valid, void, or voidable depending on their legal enforceability.

अनुबंध व्यापार और दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग हैं। किसी अनुबंध को वैध बनने के लिए उसके सभी आवश्यक तत्वों का पूरा होना आवश्यक है, जैसे स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य, प्रतिफल तथा पक्षों की क्षमता। कानूनी स्थिति के आधार पर अनुबंध वैध, शून्य या विलोपनीय हो सकते हैं।